कार्यालय-जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग) कासगंज।
अल्पकालीन कोटेशन सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 19.12.2025 के अनुपालन में केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा जनपद न्यायालय कासगंज में कार्यरत महिला / पुरुष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं वाहन चालको को ग्रीष्मकालीन वर्दी एवं रेनकोट उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी माँगपत्र दिनांकित 11.09.2025 के आलोक में वितीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष शासनादेश सं0- 64/2024/1656/18-2-2024-18-2099/246/2022 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघोग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17.12.2024 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद न्यायालय कासगंज में 04 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके 03 वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के 37 पुरुष कर्मचारीगण एवं 03 महिला कर्मचारी सहित कुल 43 कर्मचारीगण को ग्रीष्मकालीन वर्दी तथा शासनादेश दिनांकित 17.12.2024 के प्रस्तर 'क' के अनुसार रेनकोट प्रत्येक 05 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके 03 वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के 37 पुरुष कर्मचारीगण एवं 03 महिला कर्मचारी सहित कुल 43 कर्मचारीगण को उपलब्ध कराया जाना है। उपरोक्तानुसार सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों / निगमों / प्राधिकरणों / परिषदो/ स्वायतशासी संस्थाओं जिन्हे आगे क्रेता एजेन्सी कहा गया है) द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुये माँगपत्र के अनुसार उक्त ग्रीष्मकालीन वर्दी एवं रेनकोट का क्रय चिन्हित संस्थाओं से क्रय किये जाने हेतु कोटेशन दिनांक 06.01.2026 तक आहूत किये जाते है।

अतः इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म / संस्था उक्त की बावत कोटेशन कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज में दिनांक 06.01.2026 को समय 1:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

01- कोटेशन बन्द लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत में दिनांक 06.01.2026 तक (कार्यालय समय 10:00 बजे से 1:00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगें।
02- कोटेशन दिनांक 06.01.2026 को समय 1:30 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेगें।
03- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
04- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
05- कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
06- वितीय वर्ष 2025-26 में कोटेशन मे दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नही होगा।
07- भुगतान ग्रीष्मकालीन वर्दी एवं रेनकोट की आपूर्ति प्राप्त होने पर किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
08- कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
09- कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपति पर विचार नही किया जायेगा।

दिनांक- .12.2025

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव),
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1,
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No.562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
02- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
03- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।
04- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- .12.2025

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव),
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1,
कासगंज।